राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
2/17	03.01.2017	20.07.2018

अनुवान

1. मदनलाल (फौत)
   1/1 भगवती देवी पत्नि
   1/2 रमेश
   1/3 रोहिताश पुत्रान मदनलाल जातियान गुर्जन निवासी मुण्डावर
   1/4 सुनिता पुत्री मदनलाल पत्नि नीरज जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर हाल निवासी किशनगढबास जिला अलवर।
2. हरिराम
3. अमिलाल
4. बल्लू पुत्रान प्रभाती
5. रानिवास दत्तक पुत्र सत्तू पोत्र प्रभाती
6. मुन्शी पुत्र चेतराम पोत्र प्रभाती
7. सावित्री
8. गीता पुत्रियान चेतराम पोत्रीयान प्रभाती
9. मूर्ती पत्नि चेतराम पुत्रवधु प्रभाती जातियान गुर्जर निवासीयान मुण्डावर तह० मुण्डावर जिला अलवर।

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज०।

प्रतिवादी

2. बनारसी पुत्री चेतराम पत्नी जस्सू जाति गुर्जर नि० बिस्सर तह० तावडू हरियाणा।

तर० प्रतिवादी

दावा–इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

उपस्थिती:—

1. श्री बस्तीराम यादव वकील—वादीगण।

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद पत्र का सार तय रहा कि आराजी हाल खसरा नं0 2254/0.59 हैक्0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर में स्थित होकर साबिक खसरा नं0 1326 से पैमूद हुआ है। आराजी मुतनाजा वादीगण की खानदानी आराजी है पूर्व में आराजी प्रभाती पुत्र श्योदान के कब्जेकाश्त की रही है। जिस बावत् साबिक रिकार्ड संवत 2011 में इंद्राज है प्रभाती पुत्र श्योदान गुर्जर साकिम देह गैर मोरूसी साल 8 अंकित है एवं खुद काश्त के काश्तकार रहे है। आराजी मुतनाजा में वादी सं0 1 लगायत 5 का 1/6, 1/6,1/6 भाग एवं वादी सं0 6 लगायत 9 व तर0 प्रतिवादिया सं0 2 का 1/6, संभाग के गैर खातेदार काश्तकार है। मौके पर इसी प्रकार काविज काश्त है। वादीगण का पूर्वज प्रभाती की फोतगी पर विरासत पुत्रो के नाम दर्ज व मंजूर हो गयी एवं प्रभाती के पुत्र सत्तू व चेतराम फौत होने पर उनके वारीसान के नाम विरासत हो चुकी है। वादीगण के पूर्वज राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील हेाने के पुर्व से आराजी पर काविज होकर काश्त करते आ रहे है और गैर मोरूसी के रूप में पूर्वज के नाम का इंद्राज जमाबंदी संवत 2011 में हो रहा है जो बैदस्तूर चला आ रहा है। साबिक रिकार्ड में जमाबंदी संवत 2011 के कोलम सं0 4 में सकूर खां वगैरा मजकूरान दर्ज है इसी प्रकार संवत 2016 से 19 में इंद्राज गैर मौरूसी के रूप में दर्ज है एवं संवत 2020 से 2023 की जमावंदी में कालम सं0 4 में मालिक भारत सरकार एवं कालम सं0 5 में प्रभाती गैर मोरूसी अंकित किया गया है। इसके बाद जामाबंदी भूप्रबंध विभाग द्वारा जारी संवत 2029 में पूर्वज प्रभाती पुत्र श्योदान को गैर खातेदार के रूप में अंकित किया गया है। क्योंकी अब कस्टोडियन विभाग समाप्त हो गया है एवं कस्टोडियन विभाग की भारत सरकार में निहीत संपत्ति अब राज्य सरकार में निहीत हो चुकी है एवं राज्य सरकार ही आराजी की मलिक है इसलिए प्रतिवादी की जद में तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार बनाया जाकर अनुतोश चाहा गया है। वादीगण के पूर्वज व उनके वाद जरिये विरासत वादीगण काविज होकर लगभाग संवत 2003 से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है आज भी मौके पर काबिज है। इसप्रकार वादीगण को आराजी मुतनाजा में खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है। वादीगण बाई आपरेशन खातेदारी अधिकार सृजित हो चुके हे इसलिए वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने को मुश्तहक है, उपरोक्तानुसार आराजी मुतनाजा के बाबत् वादीगण व तर0 प्रतिवादिया को खातेदार काश्तकार की घोषणा किये जाने के आदेश फरमाये जावे एवं गैर खातेदार हजफ फरमाया जावे का निवेदन करते हुए वाद वादिगण बर खिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि हाल आराजी खसरा नं0 2254/0.59 हैक्0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर में मिन वादिगण सं0 1 लगायत 5 को 5/6

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

संभाग व वादी सं0 6 लगायत 9 व तर0 प्रतिवादिया सं0 2 को 1/6 संभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदार के अंकन को हजफ किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी असल की बाद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिती में उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र की ताईद में मोखिक साक्ष्य स्वरूप सपथ पत्र रोहिताश पी0डब्लू0–1, रामश्वरूप पी0डब्लू0–2 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरुप नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2069–72 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2010 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2019 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2020–23 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत 2032 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी संवत 2036 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी संवत 2041 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी संवत 2045 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी संवत 2062 प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी संवत 2046 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी संवत 2057 प्रदर्श–13, नकल जमाबंदी संवत 2061–64 प्रदर्श–14, नकल जमाबंदी संवत 2065–68 प्रदर्श–15, नकल इंतकाल सं0 1549 प्रदर्श–16, नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श–17 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजाद का गहनता से अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने वादीगण के वाद पत्र के जिमनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की खानदानी आराजी है। जिसके बाबत् वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2069–72 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2010 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2019 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2020–23 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत 2032 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी संवत 2036 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी संवत 2041 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी संवत 2045 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी संवत 2062 प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी संवत 2046 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी संवत 2057 प्रदर्श–13, नकल जमाबंदी संवत 2061–64 प्रदर्श–14, नकल जमाबंदी संवत 2065–68 प्रदर्श–15, नकल इंतकाल सं0 1549 प्रदर्श–16, नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श–17 पेश किये गये है। इस प्रकार प्रस्तुत साबिक राजस्व रिकार्ड यथा नकल जमाबंदी संवत 2011 की जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज प्रभाती पुत्र श्योदान का कोलम सं0 5 में नाम अंकित कर गैर मोरूसी साल 8 अंकित है। तथा कोलम सं0 4 में सकूर खां वगैरा मजकूरान दर्ज के आधार पर वादीगण लगभाग संवत 2003 से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिती में वादीगण के पूर्वज राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व से आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। ऐसी

उपखण्डाधिकारी
गुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

स्थिती में विवादित आराजी के बाबत् वादीगण को खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है का निवेदन करते हुए वादीगण का वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन करने पर विदित है कि हाल आराजी खसरा नं0 2254/0.59 है0 साबिक खसरा नं0 1326 मिन से पैमूद हुआ है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल प्रदर्स-3 से स्पष्ट साबित है तथा प्रदर्स-4 नकल जमाबंदी संवत 2011-15 के कोलम सं0 5 में प्रभाती पुत्र श्योदान गूजर साकिम देह गैर मोरूसी साल 8 का अंकन है। जो बयदस्तूर अंकन होते हुए संवत 2029 में प्रभाती पुत्र श्योदान गूजर साकिम देह गैर खातेदार का अंकन है जो प्रदर्श-7 से स्पष्ट विदित है एवं मुताबिक नामानन्तरकरण सं0 1549 पूर्वज प्रभाती की फोतगी पर वारीसान के नाम विरासत दर्ज होकर दस्दीक होकर गैर खातेदार का अंकन है जो प्रदर्श -16 से स्पष्ट साबित है। ठीक इसी प्रकार हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से पूर्वानुसार गैर खातेदारी की पुनरावृती होती चली आ रही है। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी रही है। ऐसी स्थिती में राज्य सरकार द्वारा ऐसे अंकन के समय में राशि जमा कर खातेदारी दिये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्ति दावा एवं अन्य अधिनियम निरसनं अधिनियम 2005 को दिनांक 06.09.2005 को अधिसूचित कर विस्थापित व्यक्ति/निष्क्रांत संपत्ति संबंधि 5 अधिनियमों क्रमशः The displaced persons(claims)Act 1950,The Administration of Evacuee Property Act 1950, The Evacuee interest(Separation) Act 1951, The Displaced Persons (Claims) Suupplementry Act 1955, The Displaced Persons(Compensation and Rebabilitation Act 1954.को निरसित कर दिये के पश्चात राजस्व (पुर्नवास) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 द्वारा निष्क्रांत कृषी भूमी के आवंटन/नियमन के संबंध में दिशा निर्देश प्रसारित किये गये। इसी प्रकार राजस्थान भू राजस्व (निष्क्रांत भूमी आवंटन) नियम 1965 के नियम 5ए में विभागीय अधिसूचना दिनांक 01.12.2011 द्वारा संशोधन किया गया। निष्क्रांत संपत्ति पर काबिज आंवटियों के अंतिरिक्त सभी प्रकार के गैर-खातेदार,पट्टेदार, मोरूसी, गैर मोरूसी एवं गैर मुमकिन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए दिनांक 30.03.2012 को विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये तथा अधिसूचना दिनांक 03.10.2013 द्वारा संशोधन कर निष्क्रांत भूमी पर उक्त कृषको रूप में दर्ज नाम के काश्त कार को कब्जा नियमन का प्रावधान किया गया है। दिनांक 22.06.2018 को इस संबन्ध में सलाहकार समिती द्वारा भी उक्त भूमी के नियमन की शिफारिश की गयी है जो शमिल पत्रावली है। इस प्रकार समय समय पर जारी कस्टोडियन भूमी के संबन्ध में परिपत्रो पर भी गौर किया गया जिससे भी वादीगण का वाद खातेदारी अधीकारी के

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

रूप में बखूबी साबित है। अतः वादीगण के लिए उपयुक्त होगा की इस आधार पर देय राशियां भी जमा करावे जिससे कि राजस्व का भी कोई नुकसान न हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण ने वाद को महत्वपूर्ण एवं सूसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाता है एवं विवादित भूमी कस्टोडियन भूमी रही है जिसके संबन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से रकम वसूली योग्य है। परिणामतः वादीगण द्वारा वाद पत्र के माध्यम से चाहे गये अनुतोश को प्राप्त करनें के अधिकारी है।

–ःआदेशः–

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिती में हाल आराजी खसरा नं0 2554 रकबा 0.59 हैक्0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर के बाबत का वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के बाबत् हो रही गैर खातेदारी के अंकन सहित हजफ किया जाकर मुताबिक वाद शीर्षक उपरोक्त विवादित आराजी के बाबत् वादीगण व तरतीबी प्रतीवादी को हिस्से अनुसार वादी सं0 1/1 लगायत 1/4 को संभाग में 1/6 भाग का एवं वादी सं0 2 लगायत 5 को संभाग को 4/6 भाग का एवं वादी सं0 6 लगायत 9 एवं तर0 प्रतिवादी सं0 2 को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुकी विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी होने की स्थिती में नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क वादीगण तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर में जमा कराये। तहसीलदार मुण्डावर विवादित आराजी के बाबत् कस्टोडियन शुल्क की गणना कर राशि वादीगण से प्राप्त कर निर्धारित मद में जमा राजकोष करावेंबाद अदायगी नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार वादीगण के नाम हाल राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी के ब्राबत् का अमल दरामद करें। तदानुसार पृथक से पर्चा डिक्री जारी है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.07.18
(महेश चन्द्र मीन)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
2/17	03.01.2017	20.07.2018

अनुवान

1. मदनलाल (फौत)
   1/1 भगवती देवी पत्नि
   1/2 रमेश
   1/3 रोहिताश पुत्रान मदनलाल जातियान गुर्जन निवासी मुण्डावर
   1/4 सुनिता पुत्री मदनलाल पत्नि नीरज जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर हाल निवासी किशनगढबास जिला अलवर।
2. हरिराम
3. अमिलाल
4. बल्लू पुत्रान प्रभाती
5. रानिवास दत्तक पुत्र सत्तू पोत्र प्रभाती
6. मुन्शी पुत्र चेतराम पोत्र प्रभाती
7. सावित्री
8. गीता पुत्रियान चेतराम पोत्रीयान प्रभाती
9. मूर्ती पत्नि चेतराम पुत्रवधु प्रभाती जातियान गुर्जर निवासीयान मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादी

2. बनारसी पुत्री चेतराम पत्नी जस्सू जाति गुर्जर नि0 बिस्सरं तह0 तावडू हरियाणा।

तर0 प्रतिवादी

दावा–इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वादीगण की ओर से श्री बस्तीराम यादव एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 20.07.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

हाल आराजी खसरा नं0 2554 रकबा 0.59 हैक्0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर के बाबत का वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के बाबत् हो रही गैर खातेदारी के अंकन सहित हजफ किया जाकर मुताबिक वाद शीर्षक उपरोक्त विवादित आराजी के बाबत् वादीगण व तरतीबी प्रतीवादी को हिस्से अनुसार वादी सं0 1/1 लगायत 1/4 को संभाग में 1/6 भाग का एवं वादी सं0 2 लगायत 5 को संभाग को 4/6 भाग का एवं वादी सं0 6 लगायत 9 एवं तर0 प्रतिवादी सं0 2 को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुकी विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी होने की स्थिती में नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क वादीगण तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर में जमा कराये। तहसीलदार मुण्डावर विवादित आराजी के बाबत् कस्टोडियन शुल्क की गणना कर राशि वादीगण से प्राप्त कर निर्धारित मद में जमा राजकोष करावेंबाद अदायगी नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार वादीगण के नाम हाल राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी के बाबत् का अमल दरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 20.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

20.07.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner